प्रधान मंत्री
आवास योजना-शहरी
Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban

मिशन निदेशालय
सबके लिए आवास / एस.एल.एन.ए.-सूडा(उ.प्र.)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

23, सैक्टर-7, गोमती नगर विस्तार,
(निकट डायल-100) लखनऊ-226010
website-www.sudaup.org
e-mail-hfaup1@gmail.com

पत्रांकः-7348 / 03 / 29 / HFA-DPR/PMC / 2018-19 दिनांकः-26 नवम्बर, 2018

समस्त परियोजना अधिकारी / सहा0परि0 अधिकारी,
जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।

विषयः- **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के अन्तर्गत स्वीकृत डीपीआर के लाभार्थियों की जियो टैग के उपरान्त पत्रावलियां पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर निदेशक, सूडा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण / विस्तार के अन्तर्गत निर्मित किये जा रहे आवासों के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि जीरो लेवल जियो टैग के उपरान्त प्रथम किश्त के भुगतान से पूर्व पत्रावलियों में समस्त आवश्यक प्रपत्र नहीं लगाये जा रहे हैं एवं पत्रावलियां अपूर्ण हैं। लाभार्थी पत्रावली में नियमानुसार प्रपत्रों का लगाया जाना आवश्यक है:-

1. लाभार्थी द्वारा भरा गया आवेदन पत्र एवं प्रमाणीकरण की रिपोर्ट।
2. भू-स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख की प्रति।
3. लाभार्थी का 10/- के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र लाभार्थी की सहमति पत्र के साथ।
4. लाभार्थी के आधारकार्ड की प्रति।
5. लाभार्थी के बैंक पासबुक की प्रति।
6. एम0आई0एस0 पोर्टल से प्राप्त प्रत्येक लेवल के जियो टैग का फोटोग्राफ।
7. लाभार्थी पासबुक की प्रति (हस्ताक्षर सहित)।
8. पूर्ण आवास के फोटोग्राफ की हार्ड कापी।
9. आय सम्बन्धी स्वघोषित अन्डरटेकिंग।
10. यदि अन्य ऐसे अभिलेख, जो स्थानीय आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त समझें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जीरो लेवल जियो टैग के उपरान्त प्रथम किश्त के भुगतान से पूर्व अपने जनपद के पीएमसी कन्सलटेन्ट से उपरोक्त का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक (एचएफए)/
निदेशक, सूडा।

प्रतिलिपिः-

1. समस्त डीपीआर / पीएमसी कन्सलटेन्ट्स को अनुपालनार्थ।

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक (एचएफए)/
निदेशक, सूडा।

DPR-PMC/187